निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 05/अपील/17 तारीख दायरा 15.02.2017

उनवान अपील

01. जमना लाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति भील आयु 55 साल नि0 दोबडा तहसील पिड़ावा
02. लालचन्द पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति भील आयु 50 साल नि0 दोबडा तहसील पिड़ावा

बनाम

01. हरिबल्लभ पुत्र भंवरलाल जाति कुल्मी पाटीदार नि0 ग्राम दोबड़ी तहसील पिड़ावा
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिड़ावा

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजगी निर्णय 25.05.2004 न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा निरस्त करने नामान्तरकरण संख्या 97

उपस्थितः— श्री चरण सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
श्री कालूसिंह सिसोदिया अभिभाषक रेस्पो0 न0 1
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 18.12.2017

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 28.05.2004 जिसके द्वारा ग्राम दोबडी तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा न0 220 की 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि का नामान्तकरकरण संख्या 97 तस्दीक किया गया से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अपीलान्ट के पिता को उक्त आराजी दिनांक 16.11.1975 को आवंटन हुई थी जिस पर अपीलान्ट लगातार फसल लेते आ रहे हैं। रेस्पो0 द्वारा हल्का पटवारी से सांठ गाठं कर अपीलान्ट के पिता को आवंटित आराजी को खाता सरकार करवा दी तथा न्यायालय एसीएम झालावाड़ में दावा प्रस्तुत कर खातेदारी दर्ज करवा ली गई। अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को आवंटन आराजी को अन्य व्यक्ति को खातेदारी में दिया जाना और आवंटन किया जाना नियमों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 97 निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 की और से अभिभाषक श्री कालूसिंह सिसोदिया उपस्थित हुए व रेस्पो0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण में तहसीलदार पिड़ावा से रिपार्ट प्राप्त की गई ।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा कानून के विरूद्ध जाकर इन्तकाल तस्दीक किया गया है जबकि उक्त आराजी का पूर्व में एसटी के व्यक्ति को आवंटन हुआ था तत्पश्चात आराजी का आवंटन निरस्त किया जाकर खाता सरकार दर्ज की गई व उक्त आराजी को नियमों के विपरित एसीएम कोर्ट द्वारा रेस्पो0 के खाते बांध दी जिस पर तहसीलदार पिड़ावा द्वारा इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो निरस्त किया जावे। रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 07.11.2017 को न्यायालय हाजा में लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकन किया गया कि वाद ग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटन होने पर उक्त आवंटन के विरूद्ध रेस्पो0 न0 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलान्ट के पिता को किया गया आवंटन निरस्त किया गया था जिस पर रेस्पो0 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर,झालावाड़ के समक्ष खातेदारी घोषणा का दावा अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाने पर निर्णय व डिक्री रेस्पो0 न0 1 के पक्ष में हुआ । अपील खारिज की जावे, लिखित बहस के साथ निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर दिनांक 29.09.2000 व न्यायालय राहायक कलक्टर,झालावाड़ के निर्णय दिनांक 07.11.2002 की प्रति प्रस्तुत की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम दोबडी के नामान्तरकरण संख्या 97 के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा बाद रिपोर्ट पटवारी व आईएलआर नामान्तरकरण तस्दीक करते समय स्पष्ट अंकन किया गया है कि आवंटन/नियमन वैध प्रकिया से नही हुआ है,माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर का निर्णय राजस्व नियमों के विरूद्ध प्रतीत होता है किन्तु न्यायालय के निर्णय व डिक्री आदेश की पालना किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार पिड़ावा द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण खोला जाना स्पष्ट है किन्तु उनके द्वारा उक्त नामान्तरकरण की परत पर आईएलआर को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत किया जावे। हमारे द्वारा इस बाबत तहसीलदार पिड़ावा से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि तत्समय तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण का रेफरेन्स तैयार करने बाबत आईएलआर को निर्देशित तो किया गया अंकित है किन्तु उक्त नामा0 संख्या 97 का रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। चूंकि अब हमारे समक्ष यह तथ्य आ चुके हैं कि तत्समय तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 97 तस्दीक किया गया वह न्यायालय सहायक कलक्टर,झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है। जिस भूमि को रेस्पो0 1 को खातेदारी दी गई है वह भूमि पूर्व में एससी/एसटी के व्यक्ति को आवंटित आराजी थी व उक्त व्यक्ति द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही किये जाने पर भूमि खाता सरकार दर्ज की गई थी व उक्त भूमि को अन्य वर्ग के लिये खातेदारी या आवंटन किये जाने का नियमों में प्रावधान नही है। अतः हमारी राय में न्यायालय सहायक कलक्टर,झालावाड़ द्वारा मिसल न0 424/दावा/98 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2002 नियम विरूद्ध प्रतीत होता है व उक्त आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जेर अपील निरस्त किया जाता है व तहसीलदार पिड़ावा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़